नीना मान्धना बनाम चौथीदेवी वगैरह
मुकदमा नम्बर 77/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया:–

नीना मान्धना पत्नि अजय मान्धना जाति महेश्वरी निवासी नावां तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. चौथीदेवी पत्नि सुरजकरण जाति गुर्जर निवासी हेमपुरा तहसील नावां।
2. पतासीदेवी पत्नि रतनाराम जाति गुर्जर निवासी उलाणा तहसील नावां।
3. बिरदीचन्द पुत्र चूनीलाल जाति कुमावत निवासी हेमपुरा तहसील नावां।
4. मगनाराम पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी उलाणा तहसील नावां।
5. सुगनीदेवी पत्नि गोपीराम जाति गुर्जर निवासी पांचोता तहसील नावां।
6. सुरजकरण पुत्र रामुराम जाति गुर्जर निवासी त्योदा तहसील फुलेरा।
7. हीराराम पुत्र हेमाराम जाति गुर्जर निवासी हेमपुरा तहसील नावां।
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

दावा वास्ते भू–विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री हरिराम गुर्जर अधिवक्ता वादीया
श्री आनन्दीलाल गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3

मुकदमा नम्बर: 77/2023 निर्णय दिनांक:– 11.12.2023

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम हेमपुरा तहसील नावां की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 29 रकबा 2.02 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय स्थित रही है। राजस्व ग्राम हेमपुरा की सरहद में स्थित उपरोक्त कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 29 रकबा 2.02 हैक्टर में से 19/202 हिस्सा की 0.19 हैक्टर भूमि की वादीया काबिज कृषक खातेदार चली आ रही है। वादीयां अपनी उक्त आराजी पर निरन्तर एंव निर्विवाद रूप से काबिज चली आ रही है। वादीयां ने अपनी खातेदारी अधिकारी में दर्ज 19/202 हिस्सा की 0.19. हैक्टर भूमि को काफी अब्बल एंव उपयोगी बनाया है। वादीयां में अपनी उक्त भूमि के चारों ओर चार दिवारी बना रखी है जिस पर वादी निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काबिज चली आ रही है। परन्तु भूमि का विधिवत भू–विभाजन नही होने के कारण वादीयां अपनी उक्त भूमि का बेहतर उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रही है। वादीयां की भूमि मौके पर खसरा नम्बर 29 में दक्षिणी तरफ उत्तर–दक्षिण लम्बाई में है एवं [illegible] तरफ स्थित है जो सडक मार्ग पर स्थित है। जिसका वादीयां विधिवत भू– विभा[illegible]ने की कानूनी अधिकारी है। वादीयां ने विधिवत भू– विभाजन हेतु प्रतिवादीगण [illegible] पहले आश्वासन देते रहे तथा अब वादीयां की भूमि अब्बल किस्म [illegible] करने [illegible]। मौके पर वादीयां की 0.19 हैक्टर भूमि [illegible] मध्य अलग चक में [illegible] है। जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना–कुचामन)

चारो ओर वादीयां ने दीवार बना रखी है। जिस पर वादीयां शांतिपूर्वक काबिज चली आ रही है। अब प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आने से प्रतिवादीगण वादीयां की सीव मांठ के साथ छेडछाड करने लगे है जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह स्वंय या अपने एजेन्टो के मार्फत वादीयां की उपरोक्त 0.19 हैक्टर भूमि में दखल नही करे। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 सहखातेदार होने से तथा प्रतिवादी संख्या 08 प्रतिनिधि सरकार होने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण है। राजस्व ग्राम हेमपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 29 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि में वादीयां की भूमि मौके पर खसरा नम्बर 29 में दक्षिणी तरफ उत्तर–दक्षिण लम्बाई में है एवं खसरा नम्बर 27 के पूर्वी तरफ स्थित है जो सडक मार्ग पर स्थित है, का विधिवत भू– विभाजन करने की डिक्री बहक वादीयां विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाकर वादीयां की अलग जोत कायम करने हेतु तहरीर तहसीलदार, नांवा को जारी करने एवं वादीयां की उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वंय या अपने एजेन्टो के मार्फत दखल नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीयां फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीया का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 7 के सम्मन अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 19 सितम्बर 2023 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल गुर्जर ने इकबाली जवाब मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम हेमपुरा के खसरा नम्बर 29 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि में उत्तरदाता बिरदीचन्द 1/10 हिस्सा की 0.202 हैक्टर भूमि का काबिज कृषक खातेदार चला आ रहा है। मौके पर उत्तदाता की 1/10 की 0.202 हैक्टर भूमि के चारों ओर उत्तरदाता ने अपनी सीव माठ कायम कर रखी है। उत्तरदाता की उक्त भूमि एक ही चक में स्थित है परन्तु खातेदारी संयुक्त दर्ज होने के कारण उत्तरदाता अपनी भूमि के बेहतर उपयोग एवं उपभोग से वंचित हो रहा है। उत्तरदाता भी वादिया के साथ अपने कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की उपरोक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत भू–विभाजन करवाना चाहता है। इसलिए उत्तरदाता के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की उपरोक्त 1/10 हिस्सा की 0.202 हैक्टर भूमि के विधिवत भू–विभाजन की डिक्री फरमाई जावें। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादीया, पी.डब्ल्यू.2 गवाह बनाराम पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवीास नावां तहसील नावां, पी.डब्ल्यू.3 गवाह सुमेरसिंह पुत्र सुरजभानसिंह जाति राजपूत निवासी नावां तहसील नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू.1 प्रतिवादी बिरदीचन्द के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्रारम्भिक डिक्री निर्णय जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार भू-विभाजन करने हेतु सहमत है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व राजस्व ग्राम हेमपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 29 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि का मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों अनुसार भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 3 का कांउटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम हेमपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 29 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादीया नीना मान्धना एवं प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:14 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीयाः—

नीना मान्धना पत्नि अजय मान्धना जाति महेश्वरी निवासी नावां तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. चौथीदेवी पत्नि सुरजकरण जाति गुर्जर निवासी हेमपुरा तहसील नावां।
2. पतासीदेवी पत्नि रतनाराम जाति गुर्जर निवासी उलाणा तहसील नावां।
3. बिरदीचन्द पुत्र चूनीलाल जाति कुमावत निवासी हेमपुरा तहसील नावां।
4. मगनाराम पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी उलाणा तहसील नावां।
5. सुगनीदेवी पत्नि गोपीराम जाति गुर्जर निवासी पांचोता तहसील नावां।
6. सुरजकरण पुत्र रामुराम जाति गुर्जर निवासी त्योदा तहसील फुलेरा।
7. हीराराम पुत्र हेमाराम जाति गुर्जर निवासी हेमपुरा तहसील नावां।
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नावां तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 77 / 2023 — **निर्णय दिनांक :— 11.12.2023**

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री हरिराम गुर्जर अधिवक्ता वादीया एवं श्री आनन्दीलाल गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादीया का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 3 का कांउटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम हेमपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 29 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादीया नीना मान्धना एवं प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू—विभाजन किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

बसुब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.12.2023 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीलान	NIL	NIL

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:14 IST
Reason: SelfAttested